दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधार्य) तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी) कुधवार, 30 जुलाई, 2003 / श्रावण 08, 1925 (शक)

संख्याः 268

सदस्यों की नज़र वन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थानाध्यक्ष, पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्रप्त हुआ है: -

"मुझे आपको रासम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों चौ. प्रेम सिंह, श्रीमती किरण चौधरी एवं श्री मुकेश शर्मा को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 25/07/2003 को अपराहन 12.20 वजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवझा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उनके रागर्थकों राहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 25/07/2003 को अपराहन 12.30 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> सिद्धार्थ राव सचिव

DELIII LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday, 30 July, 2003 / Shravana 07, 1925 (Saka)

No.: 268

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Police Station, Parliament Street, New Delhi: -

"I have the honour to inform you that Ch. Prem Singh, Smt. Kiran Choudhry and Shri Mukesh Sharma Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at, Police Station, Parliament Street, New Delhi at 12.20 PM on 25/07/2003.

They along with their supporters were released at 12-30 P.M. on the same day i.e. 25/07/2003."

IDDHARATH RAO SECRETARY